



2026:AHC:65244

उच्च न्यायालय, न्यायिक पीठ इलाहाबाद

आवेदन अंतर्गत धारा 528 बी.एन.एस.एस. संख्या - 9847 वर्ष 2026

सुभाष चन्द्र एवं 3 अन्य

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

..... विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : राजेश कुमार सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 77

माननीय न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव

1. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. प्रारंभ में ही, आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने वर्तमान आवेदन में प्रार्थना खंड में संशोधन करने की अनुमति मांगी, क्योंकि असावधान उन्होंने आक्षेपित संज्ञान आदेश को चुनौती नहीं दी थी।
3. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रार्थना स्वीकार की जाती है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता को निर्देशित किया जाता है कि आज ही के दौरान इस आवेदन के प्रार्थना खंड में आवश्यक संशोधन कर लें।
5. वर्तमान आवेदन आरोप-पत्र दिनांक 19.09.2025 तथा संज्ञान/समन आदेश दिनांक 07.11.2025, तथा आपराधिक वाद संख्या 5018 वर्ष 2025 की संपूर्ण कार्यवाही, जो केस क्राइम संख्या 852 वर्ष 2024 से उत्पन्न हुई है, धारा 318(4), 316(2), 352, 351(3) बी.एन.एस., थाना क्वारसी, जनपद अलीगढ़, जो कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ के न्यायालय में लंबित है, को निरस्त करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
6. आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने विवादित आरोप-पत्र, संज्ञान/समन आदेश तथा वर्तमान प्रकरण की संपूर्ण कार्यवाही को इस आधार पर चुनौती दी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली रेस क्लब (1940) लिमिटेड एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2024) 10 एस.सी.सी. 690 में प्रतिवेदित है, के प्रकरण में स्थापित विधि के सिद्धांत के अनुसार धारा 318(4) बी.एन.एस. तथा धारा 316(2) बी.एन.एस. को एक साथ लागू नहीं किया जा सकता। उक्त निर्णय का प्रासंगिक अंश निम्नवत् पुनः उद्धृत किया जा रहा है :-

"38. हमारे विचार में, शिकायत का सामान्य पठन उपर्युक्त आवश्यक तत्वों को स्पष्ट नहीं करता है। हम केवल यह कहना चाहते हैं कि पुलिस तथा अधीनस्थ न्यायालयों के मन में विधि संबंधी गंभीर भ्रांति को दूर करने के लिए यदि शिकायतकर्ता का यह मामला है कि धारा 405 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत परिभाषित आपराधिक न्यास भंग का अपराध, जो धारा 406 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय है, अभियुक्त द्वारा किया गया है, तो

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उसी समय यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त ने धारा 415 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत परिभाषित धोखाधड़ी का अपराध भी किया है, जो धारा 420 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय है।

41. मात्र अनुबंध के उल्लंघन तथा आपराधिक न्यास भंग एवं धोखाधड़ी के अपराध के बीच सूक्ष्म अंतर है। धोखाधड़ी के मामले में प्रेरित करने के समय अभियुक्त की मंशा देखी जानी चाहिए, जिसका आकलन बाद के आचरण से किया जा सकता है, परंतु इसके लिए बाद का आचरण ही एकमात्र परीक्षण नहीं है। मात्र अनुबंध का उल्लंघन, धोखाधड़ी के लिए आपराधिक अभियोजन का आधार नहीं बन सकता, जब तक कि लेन-देन के प्रारंभ से ही कपटपूर्ण या बेईमानी की मंशा प्रदर्शित न हो।

43. आपराधिक न्यास भंग तथा धोखाधड़ी के बीच अंतर है। धोखाधड़ी के लिए झूठा या भ्रामक प्रस्तुतीकरण करते समय प्रारंभ से ही आपराधिक मंशा आवश्यक है। आपराधिक न्यास भंग के मामले में केवल न्यास का सिद्ध होना पर्याप्त है। अतः आपराधिक न्यास भंग में संपत्ति विधिपूर्वक सौंपी जाती है तथा अभियुक्त द्वारा उसका बेईमानी से दुरुपयोग किया जाता है, जबकि धोखाधड़ी के मामले में अभियुक्त किसी व्यक्ति को धोखा देकर संपत्ति देने के लिए प्रेरित करता है। ऐसी स्थिति में दोनों अपराध एक साथ अस्तित्व में नहीं रह सकते।

55. अब समय आ गया है कि देश भर के पुलिस अधिकारियों को विधि का उचित प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे वे धोखाधड़ी तथा आपराधिक न्यास भंग

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के अपराधों के बीच सूक्ष्म अंतर को समझ सकें। दोनों अपराध स्वतंत्र एवं भिन्न हैं। दोनों अपराध एक ही तथ्यों में एक साथ अस्तित्व में नहीं रह सकते। वे एक-दूसरे के विपरीत हैं। भारतीय दंड संहिता (अब बी.एन.एस. 2023) के ये दोनों प्रावधान जुड़वां नहीं हैं कि एक के बिना दूसरा जीवित नहीं रह सकता।"

7. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने वर्तमान आवेदन में की गई प्रार्थना का जोरदार विरोध किया, परंतु आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विधिक सिद्धांत का खंडन करने में असमर्थ रहे।
8. चूंकि आवेदक की ओर से केवल विधिक तर्क प्रस्तुत किया गया है, अतः विपक्षी पक्ष संख्या-2 को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया को निरस्त किया जाता है।
9. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने, अभिलेख का अवलोकन करने तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली रेस क्लब (सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्णय पर विचार करने के पश्चात यह पूर्णतः स्पष्ट है कि दोनों धाराएँ अर्थात् धारा 318(4) एवं 316(2) बी.एन.एस. एक साथ लागू नहीं की जा सकतीं। अतः आपराधिक वाद संख्या 5018 वर्ष 2025 में पारित संज्ञान/समन आदेश दिनांक 07.11.2025, जो केस क्राइम संख्या 852 वर्ष 2024, धारा 318(4), 316(2), 352, 351(3) बी.एन.एस., थाना क्वारसी, जनपद अलीगढ़ से उत्पन्न हुआ है तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ के न्यायालय में लंबित है, को एतद्वारा निरस्त किया जाता है। मामले को संबंधित न्यायालय को पुनः प्रेषित किया जाता है ताकि वह, यदि आवश्यक हो, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली रेस क्लब (सुप्रा) के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मामले में स्थापित विधि के सिद्धांत के आलोक में, अपराध के संज्ञान लेने के संबंध में नया आदेश पारित करे।

10. तदनुसार, वर्तमान आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

दिनांक : 26 मार्च, 2026

सैफ

(सौरभ श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।